ऑनलाइन बुकिंग की शर्तें

निम्नलिखित जानकारी ग्राहकों के लिए है । कृपया इसका अवलोकन कर लें ।

देयताओं की सीमा तथा वारंटी की अस्वीकृति

इस वेबसाइट के प्रयोग से जुड़े या इसके प्रयोग से उत्पन्न किसी भी मामले या इस वेबसाइट के प्रयोग में असमर्थता या देरी या इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किसी सूचना, उत्पाद और सेवाओं (विमान द्वारा वहन के अतिरिक्त) के कारण या अन्यथा इस वेबसाइट के प्रयोग से उत्पन्न या कॉन्ट्रेक्ट, क्षति, पूर्ण देयता या अन्य किसी प्रकार से आधारित हो, एअर इंडिया इस वेबसाइट के प्रयोग से होने वाली किसी प्रत्यक्ष, परोक्ष, आकस्मिक विशिष्ट या परिणामी क्षति के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

इस वेबसाइट के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त टिकट के द्वारा किसी भी विमान यात्रा पर संबंधित वाहक की वहन की शर्तें लागू होंगी, यह गैर-अंतरराष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय वहन दोनों के लिए लागू है । यह वारसा कनवेन्शन 1929 या हेग प्रोटोकॉल 1955 या मॉन्ट्रियल कनवेन्शन 1999 के अधीन भी हो सकता है जो कुछ परिस्थितियों में वाहक की देयता सीमित कर सकता है । आप नीचे लिखी वहन की शर्तों की टिप्पणी का अवलोकन कर लें ।

यद्यपि हम इस वेबसाइट पर सही तथा अद्यतन सूचना सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास करते हैं, तथापि एअर इंडिया लिमिटेड इसके सही होने की कोई वारंटी या आश्वासन नहीं देता । एअर इंडिया लिमिटेड इस साइट के विषय-वस्तु की किसी टंकण भूल या अन्य त्रुटियों या चूक की जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेता ।

एअर इंडिया लिमिटेड इस वेबसाइट के माध्यम से निर्बाध रूप से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है तथापि एअर इंडिया लिमिटेड इस बात का आश्वासन या वारंटी नहीं देती कि वेबसाइट पर निर्बाध रूप से सेवा दी जाती रहेंगी या इसमें दी जाने वाली सूचनाओं में कोई भी खराबी, त्रुटि या चूक या प्रसारित सूचना नष्ट नहीं होगी या कोई भी वायरस इस वेबसाइट पर नहीं होगा ।

एअर इंडिया लिमिटेड किसी भी उद्देश्य के लिए इस वेबसाइट पर दी गई सूचना, उत्पाद और सेवाओं की उपयुक्तता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं देती । ऐसी सभी प्रकार की

सूचनाएं, उत्पाद और किसी भी प्रकार की वारंटी के बिना "जैसे हैं" आधार पर उपलब्ध हैं । एअर इंडिया लिमिटेड किसी विशेष उद्देश्य, टाइटल तथा गैर उल्लघंन के लिए अंतःनिहित वारंटी तथा व्यापारिक दुरूस्तता की शर्तों सहित सूचना, उत्पादों तथा सेवाओं (विमान द्वारा वहन के अतिरिक्त) के संबंध में एतत्द्वारा सभी वारंटियों तथा शर्तों की जिम्मेदारी नहीं लेता ।

आपको परामर्श दिया जाता है कि आप सभी 'टिप्पणियों' तथा 'नियमों' को पढ़ लें तथा हमारी वेबसाइट पर बुकिंग करते समय प्रत्येक वेब पृष्ठ पर प्रदर्शित सामग्री के लिए आप जिम्मेदार होंगे । बुकिंग प्रक्रिया पूरी होने का अर्थ, आपके द्वारा 'टिप्पणियों व नियमों' की स्वीकति माना जाएगा ।

1. ऑनलाइन बुकिंग की विशेषताएं

एअर इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली वर्तमान में केवल एअर इंडिया लिमिटेड तथा इसके कोड शेयर भागीदारों द्वारा प्रचालित की जा रही उड़ानों के लिए ही उपलब्ध है ।

आप प्रत्येक बुकिंग में (9) यात्रियों तक (वयस्क तथा बच्चों सहित) को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं । बुक किए गए शिशुओं की संख्या, वयस्कों की संख्या के समरूप हो सकती है । बुकिंग केवल एअर इंडिया लिमिटेड पर सीटों की उपलब्धता होने पर प्रथम, बिजनेस तथा इकॉनोमी श्रेणी पर की जा सकती है । कोड शेयर उड़ानों में बुकिंग, एअर इंडिया लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध वाली श्रेणी में की जा सकती हैं। टिकट बनाए जाने तक किराए की कोई गारंटी नहीं है। किराए बाज़ार शक्तियों पर आधारित होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। किसी किराए का एक बार चयन कर लेने और उसका लेन-देन पूरा हो जाने के बाद यदि किराए की दरों में वृद्धि होती है तो कोई अतिरिक्त किराया वसूल नहीं किया जाता और इसी प्रकार किराए की दरों में कमी होने पर कोई रकम वापस नहीं की जाती है।

एअर इंडिया लिमिटेड तथा कोड शेयर भागीदार द्वारा प्रचालित की जा रही उड़ानों के लिए प्रस्थान से 2 घंटे पहले तक ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है ।

एक बार ऑनलाइन टिकट खरीदे जाने पर प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टिकट सृजित की जाएगी तथा छपी हुई यात्राक्रम रसीद प्रदर्शित की जाएगी । इलेक्ट्रानिक टिकट रसीद को

वेबसाइट के "मेरी बुकिंग" सेक्शन में देखा जा सकता है या उसका प्रिंट लिया जा सकता है । इसे बुकिंग के समय आप द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर ई-मेल भी किया जाएगा ।

इलेक्ट्रानिक टिकट, टिकट रहित यात्रा लाभ है । आपके टिकट की इलेक्ट्रानिक इमेज़ एयरलाइन आरक्षण प्रणाली में संग्रहित रहती है । यात्राक्रम रसीद आपकी यात्रा की पुष्टि है । एयरपोर्ट में प्रवेश तथा चैक-इन करते समय आपके पास यात्राक्रम रसीद सहित निम्नलिखित में से कोई भी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए ।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा : पासपोर्ट

अंतरदेशीय यात्रा : पासपोर्ट, फोटो पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, फोटो ड्राइविंग लाइसेंस तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान कार्ड ।

2. भुगतान

ऑनलाइन बुकिंग के लिए भुगतान क्रेडिट कार्डों, डेबिट कार्डों नीचे दिए गए इंटरनेट बैंकिंग (डायरेक्ट डेबिट) के माध्यम से निम्नानुसार किया जा सकता है ।

2.1 क्रेडिट कार्ड

ऑनलाइन बुकिंग के लिए सभी मास्टर, वीज़ा क्रेडिट कार्डों द्वारा किया गया भुगतान स्वीकृत होता है। भारत से की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्रा, भारत में की जाने वाली अंतरदेशीय यात्रा तथा अमरीका, यूके, यूरोप, जापान और सिंगापुर से शुरू होने वाली यात्रा हेतू भुगतान अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। भारत तथा भारत से बाहर जारी किए गए क्रेडिट कार्डों को हम स्वीकार करते हैं ।

क्रेडिट कार्ड भुगतान, कार्ड जारीकर्ता बैंक की स्वीकृति पर ही किया जाता है ।

आप वेबसाइट पर लेन-देन सम्पादित कर रहे हैं तथा आप भारत के निवासी है । कुछ मामलों में जहां व्यक्ति ग्राहक के रूप में उस देश का निवासी नहीं है, वहां आपका कार्ड जारीकर्ता बैंक ट्रांजेक्शन मूल्य के अतिरिक्त "इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फी" भी प्रभारित कर सकता है । यह शुल्क वीज़ा/मास्टर कार्ड द्वारा लगाया जाता है तथा कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा इसे कार्डधारियों से वसूला जाता है । अधिक जानकारी के लिए आप कृपया अपने बैंक में इन अतिरिक्त विदेशी शुल्कों को अधिशासित करने वाले खण्डों को देख सकते हैं । यह शुल्क आप द्वारा प्रभारित टिकट किराए के अतिरिक्त तथा आपके क्रेडिट

कार्ड विवरण में समाविष्ट किए जाएंगे । एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी बिलिंग या प्रभारन नहीं किया जाता । अतः आपको भेजे गए ऑनलाइन बुकिंग पुष्टिकरण ई मेल में इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

01 अगस्त, 2009 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि “ट्रांजेक्शन में कार्ड न होने” के सभी मामलों में अतिरिक्त सत्यापन तथा वैधीकरण प्रक्रियाओं पर कार्यान्वयन करे । सभी कार्डधारकों को अपने कार्ड जारीकर्ता बैंकों में पंजीकरण करना होगा तथा वीज़ा या मास्टरकार्ड द्वारा सत्यापित कोड पासवर्ड सृजित करना होगा जिसकी ऑनलाइन बुकिंग के समय प्रविष्टि करनी होगी । इसी प्रकार अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डधारियों को ऑनलाइन भुगतान करते समय पूर्ण तथा सही बिलिंग पता देना सुनिश्चित करना होगा ।

चैक-इन करते समय खरीदे गए टिकट के लिए प्रयोग में लाए गए क्रेडिट कार्ड को प्रस्तुत करना होगा । यदि कार्डधारक यात्रा करने वाली पार्टी का सदस्य नहीं है तो यात्रा करने वाले सदस्य को प्रयोग किए गए कार्ड (सामने तथा पीछे) की फोटोकापी तथा सुरक्षा कारणों से ब्लॉक किए गए क्रेडिट वैलिड वेरिफिकेशन (सीवीवी) संख्या तथा यात्रा के लिए भुगतान प्राधिकृत करता हुआ कार्डधारक का हस्ताक्षरित पत्र साथ रखना होगा । यात्रा के विवरण में यात्री का नाम, यात्रा की तिथि और सेक्टर जिसमें यात्रा की जा रही है का विवरण दिया जाना अपेक्षित है । चैक-इन के समय सत्यापन के लिए दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा । यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती तो एअर इंडिया लिमिटेड को बोर्डिंग के लिए मना करने का अधिकार होगा ।

ऑनलाइन किराया तथा प्रभार यात्रा प्रारम्भ होने वाले देश की मुद्रा में देय होगा । जब भुगतान प्रकाशित किराए की मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है तो ऐसा भुगतान वाहकों/क्रेडिट कार्ड कंपनी/बैकिंग विनियमों के अनुरूप स्थापित विनिमय दर के अनुसार किया जाएगा । ये विनियम क्रेडिट कार्ड कंपनियों के माध्यम से खरीदे तथा रीफंड किए गए टिकटों पर भी लागू होंगे ।

2.2 डेबिट कार्ड

ऑनलाइन बुकिंग का भुगतान निम्नलिखित बैकों द्वारा भारत में जारी डेबिट कार्डों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है ।

1. आंध्रा बैंक

2. एक्सिस बैंक लिमिटेड
3. बार्केले बैंक
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5. केनरा बैंक
6. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
7. कॉरपोरेशन बैंक
8. डच बैंक एजी
9. जीई मनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
10. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
11. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
12. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
13. आई एन जी वैश्य बैंक
14. कोटक बैंक - वर्चुअल कार्ड
15. स्टैंडर्ड चार्टड बैंक
16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर
17. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
18. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
19. स्टेट बैंक ऑफ त्रावेनकोर
20. सिंडिकेट बैंक
21. दी फेडरल बैंक लिमिटेड
22. दी करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

एअर इंडिया वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग का भुगतान करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में जारी किए गए निम्नलिखित डेबिट कार्डों को भी स्वीकार किया जाता है :

1. मैस्ट्रो
2. सोलो
3. वीज़ा डेबिट
4. वीज़ा इलेक्ट्रान

डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान, कार्ड जारीकर्ता बैंक की स्वीकति पर ही किया जाता है । टिकट की खरीद के लिए प्रयोग में लाए गए डेबिट कार्ड को चैक-इन के समय प्रस्तुत करना होगा । यदि कार्डधारक यात्रा करने वाली पार्टी का सदस्य नहीं है तो यात्रा करने

वाले सदस्य को प्रयोग में लाए गए कार्ड की फोटोकापी (सामने तथा पीछे) के साथ सुरक्षा कारणों से ब्लॉक किया गया क्रेडिट वैलिड वेरीफिकेशन (सीवीवी) संख्या तथा यात्रा के भुगतान के लिए प्राधिकृत क्रेडिट कार्ड धारक का हस्ताक्षरित पत्र साथ में रखना होगा ।

यात्रा विवरण में यात्री का नाम, यात्रा की तिथि तथा किस सेक्टर की यात्रा की गई है, लिखा होना चाहिए । चैक-इन के समय सत्यापन के लिए दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा । यदि शर्ते पूरी नहीं की जाती तो एअर इंडिया को बोर्डिग के लिए मना करने का अधिकार होगा ।

2.3 नेट बैंकिंग तथा कैश कार्ड

यदि बुकिंग इंजन पर नेट बैकिंग/कैश कार्ड विकल्प के अंतर्गत उल्लेखित बैंको में से किसी में भी आपका कोई खाता है, तो आप अपने ई-टिकट का भुगतान संबंधित बैंक के इंटरनेट बैकिंग विकल्प से कर सकते हैं तथा आपके खाते से राशि अपने आप डेबिट हो जाएगी ।

1. एबीएन
2. एबीडी
3. एक्सिस बैंक
4. बैंक ऑफ बहरीन, कुवैत
5. बैंक ऑफ बड़ौदा कॉरपोरेट
6. बैंक ऑफ बड़ौदा रीटेल
7. बैंक ऑफ इंडिया
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
9. कैनेरा बैंक
10. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
11. सिटी यूनियन बैंक
12. कॉरपोरेशन बैंक
13. डच बैंक
14. डेवलपमैंट क्रेडिट बैंक
15. धनलक्ष्मी बैंक
16. फेडरल बैंक

17. एचडीएफसी बैंक
18. आईसीआईसीआई बैंक
19. आईडीबीआई बैंक
20. इंडियन बैंक
21. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
22. इंडसइड पेमेंट गेटवे
23. आईएनजी वैश्य बैंक
24. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
25. कर्नाटक बैंक
26. करूर वैश्य बैंक
27. कोटक बैंक
28. लक्ष्मी विलास बैंक कॉरपोरेट
29. लक्ष्मी विलास बैंक
30. लक्ष्मी विलास बैंक रिटेल
31. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
32. पंजाब नेशनल बैंक
33. पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेट
34. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
35. शमराउ विट्ठल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड
36. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
37. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
38. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
39. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर
40. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
41. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
42. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
43. सिंडीकेट बैंक
44. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
45. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
46. विजया बैंक
47. यस बैंक

इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से भुगतान खाताधारी के बैंक से सफलतापूर्वक प्राधिकृत होने के अधीन है । बैंकों द्वारा लगाई गई 25 रुपए प्रति ट्रांज़ैक्शन की अतिरिक्त कन्वीनियंस फीस भी वसूली जाएगी। कन्वीनियंस फीस एअर इंडिया द्वारा नहीं लगाई गई है तथा टिकट को धनवापसी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर इसकी धनवापसी नहीं की जाती।

एक बार ऑनलाइन बुकिंग होने पर यात्रियों से अनुरोध है कि वे समय तथा प्रस्थान की तिथि की पुष्टि कर लें । किसी भी कारण से उड़ान में देरी या रद्दकरण सहित उड़ान समयावली में परिवर्तन की कोई भी जिम्मेदारी एअर इंडिया की नहीं होगी ।

3. संशोधन, रद्दकरण तथा धनवापसी:

एक बार ऑनलाइन आरक्षण होने पर आप “मेरी बुकिंग” सेक्शन का प्रयोग केवल पूरी तरह उपयोग नहीं की गई टिकटों के आरक्षण को संशोधित या रद्द करने के लिए कर सकते हैं।

“मेरी बुकिंग” सेक्शन का लिंक एअर इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.airindia.in के “होमपेज” पर एक्सेस किया जा सकता है।

ऑनलाइन की गई बुकिंग में संशोधन/रद्दकरण के अनुरोध पर इंटरनेट बुकिंग इंजन के माध्यम से अपने आप कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की धनवापसी देय होने पर उसे सिस्टम द्वारा लागू संशोधन/रद्दकरण नियमों के अनुसार किया जाएगा। पुन: बुकिंग के मामले में, पुन: बुकिंग की तिथि को लागू किराए के अनुसार, बुकिंग में परिवर्तन के लिए किराए के अन्तर का भुगतान करना पड़ सकता है। सभी प्रकार के पुन: बुकिंग शुल्क/प्रभार अलग से देय होंगे। आरक्षण में संशोधन होने पर किसी अतिरिक्त प्रभार या किराए में अंतर होने पर इसका भुगतान उपरोक्त किसी भी भुगतान मोड से किया जा सकता है तथापि मूल आरक्षण के समय प्रयुक्त मोड/कार्ड का प्रयोग उचित रहेगा।

कृपया नोट करें कि यदि कॉल सेंटर/आरक्षण कार्यालय से बुकिंग संशोधित या रद्द की जाती है या टिकट का आंशिक रूप से प्रयोग किया गया है तो इसे आगे ऑनलाइन संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त एक पीएनआर जिसमें अनेक यात्री बुक किए गए हैं, में ऑनलाइन संशोधन या रद्दकरण करने से उस पीएनआर में बुक किए गए सभी यात्रियों का आरक्षण संशोधित या रद्द हो जाएगा और कई यात्रियों की सामूहिक बुकिंग में से एक यात्री के आरक्षण को रद्द करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार के रद्दकरण या पुन: बुकिंग के लिए आपको कॉल सेंटर से संपर्क करना होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में कृपया ecommerce@airindia.in पर ई-मेल भेजें:-

1) यदि आप किसी खराबी के कारण ''मेरी बुकिंग'' सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या किराया नियम आपको धनवापसी की अनुमति नहीं देते हैं या अनैच्छिक धनवापसी/संशोधन के मामले में।
2) ऑनलाइन बुकिंग में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/प्रश्न/धनवापसी प्राप्त न होने पर।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ली गई टिकटों की धनवापसी क्रेडिट/डेबिट कार्ड धनवापसी प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जाएगी। कृपया ध्यान दें, विभिन्न किरायों के लिए रद्दकरण व धनवापसी नियम भिन्न-भिन्न होंगे तथा ये नियम, उड़ान व किराया विकल्प पेज के सिलेक्ट टैब के 'किराया नियम देखें' लिंक पर प्रदर्शित हैं। यदि बुकिंग ऑनलाइन नहीं की गई है तो अपने आरक्षण में किसी प्रकार के बदलाव या रद्द करने के लिए एअर इंडिया कार्यालय से संपर्क करें । टिकटों की धनवापसी टिकट जारी करने वाले कार्यालय से ही की जाएगी । ट्रेवल एजेंट द्‌वारा जारी की गई टिकट पर धनवापसी की कार्यवाही ट्रेवल एजेंट द्‌वारा ही की जाएगी ।
नोट: ओपन टिकट धारक यात्री (एअर इंडिया काउंटर/ट्रेवल एजेंट द्‌वारा जारी) यात्रा हेतू टिकट के पृष्ठांकन के लिए निकटतम एअर इंडिया कार्यालय/ट्रेवल एजेंट से संपर्क करें । पहले से बनी ओपन टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की जा सकती। दिनांक 1 जुलाई, 2012 से भारत की केन्द्र सरकार के निदेशानुसार हवाई यात्रा करने वाले यात्री के वायु परिवहन से जुड़ी सभी संबंधित वसूलियों पर सेवाकर लागू होगा। पुन: बुकिंग तथा रद्दकरण/धनवापसी शुल्क एवं प्रभारों का 4.944% सेवा कर देय होगा।
यह प्रभार 'किराया नियम देखें' पर प्रदर्शित पुन: बुकिंग/रद्दकरण नीति के प्रभारों में सम्मिलित हैं।

4. व्यक्तिगत प्रोफाइल व रजिस्ट्रेशन

हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर तथा ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से सिंगल साइन ऑन के लाभ का आनंद लेने के लिए अब आप अपनी फ्रीक्वेंट फ्लायर सदस्यता (फ्लाइंग रिटर्न सदस्यता) विवरण से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइंग रिटर्न के सदस्य नहीं हैं तो आप https://ffai.loyaltyplus.aero/loyalty/register.seam पर रजिस्टर कर सकते हैं, या आप 'गेस्ट यूज़र' के रूप में ऑनलाइन बुकिंग सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि, हम आपको महत्तवपूर्ण रूप से यही सुझाव देंगे कि आप अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर से लॉग-इन करें। इससे हम आपको सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली पूछताछ व बुकिंग में लगने वाले आपके समय की बचत कर सकेंगे । आपका एफएफपी आईडी व पासवर्ड गोपनीय है तथा दुरूपयोग से बचने के लिए इन्हें गुप्त रखना चाहिए ।

ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए रजिस्टर्ड यूज़र आई डी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपको यूज़र विवरण के बजाए अपने फ्लाइंग रिटर्न सदस्यता नंबर तथा पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा। नए फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोफाइल पर अपने 'रजिस्टर्ड यूज़र नेम' और 'पासवर्ड' का प्रयोग करके आप अपनी पूर्व ऑनलाइन बुकिंग का ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं। कृपया एअर इंडिया की वेबसाइट के इंटरनेट बुकिंग इंजन पर 'मेरी बुकिंग' टैब को एक्सेस करें तथा अपने फ्लाइंग रिटर्न नंबर तथा पासवर्ड से लॉग इन करें। यहां आप ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर अपनी बुकिंग को नए फ्लाइंग रिटर्न प्रोफाइल पर इम्पोर्ट कर सकते हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जोड़ें/एडिट करें बटन का प्रयोग करके आप अपने कार्ड विवरण तथा संबंधित यात्री सूचना को अपडेट करने के लिए मेरा प्रोफाइल टैब (मेरी बुकिंग पेज पर) को एक्सेस करें।

अंतरराष्ट्रीय यात्री पासपोर्ट में दिए गए नाम के अनुसार ही टिकट बनवाएं । टिकट पर उपनाम व नाम लिखा जाना आवश्यक है, यदि पासपोर्ट पर केवल नाम है तो प्रोफाइल बनाते समय उसे उपनाम कॉलम में भरें । यूएसए की यात्रा में जाते व आते समय यात्री का नाम पासपोर्ट में दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए ।

5. आयु व दायित्व

आप घोषित करते हैं कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए आप कानूनी रूप से पर्याप्त उम्र के हैं इस सेवा के प्रयोग से यदि कोई देयता बनती है तो ऐसे बाध्यकारी दायित्व को पूरा करने के लिए आपके पास कानूनी अधिकार तथा योजना है । आप जानते हैं कि आप और आपकी लॉग-इन सूचना का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा इस सेवा के समस्त प्रयोगों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी आप की ही है । बुकिंग सुविधा का प्रयोग करने के लिए आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई सूचना सत्य व सही होने का दायित्व आपका है । किसी भी प्रकार का संशय होने पर यह यूज़र के हित में होगा कि वे इस सूचना की पुष्टि निकटतम एअर इंडिया कार्यालय या ट्रैवल एजेंट से कर लें ।

ऑनलाइन बुकिंग के समय आपके द्वारा दी गई बच्चों व शिशुओं की आयु के सही होने की जिम्मेदारी आपकी है । 2 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका को 'शिशु' कहा जाता है और 2 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पर (यात्रा प्रारंभ होने की तिथि पर) 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 'बच्चा' कहा जाता है ।

6. सुरक्षा

एअर इंडिया लिमिटेड आपके द्वारा हमें दी गई व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित तकनीक व सुरक्षा विशिष्टताओं की सहायता से समुचित कदम उठाएगी ।

एअर इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन बुकिंग इंजन का प्रयोग कर आप एअर इंडिया लि0 को जो सूचना उपलब्ध करवाएंगे वह गोपनीय रहेगी तथा उसका अनाधिकृत एक्सेस से संरक्षण होगा परंतु एअर इंडिया लि0 अनाधिकृत एक्सेस के लिए वारंटी नहीं देती तथा इस सूचना के किसी भी अनाधिकृत एक्सेस के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

7. सुरक्षा सूचना

ऑनलाइन भुगतान तथा व्यक्तिगत सूचना संबंधी सभी अन्य लेन-देन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया लि0, एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेअर) तकनीक का उपयोग करती है । एसएसएल आपके कम्प्यूटर और हमारे सर्वर के बीच हुए सभी प्रकार के संप्रेषण को एनक्रिप्ट करती है ताकि यह सूचना एअर इंडिया लि0 के सर्वर द्वारा ही पढ़ी व समझी जा सके ।

आपकी ब्राउज़र विंडो के बाईं ओर नीचे (नेटस्केप) या दांये (इंटरनेट एक्सप्लोरर) कोने में एक बंद ताला सुरक्षित संपर्क दर्शाता है । अधिक जानकारी के लिए अपने ब्राउज़र सिक्यूरिटी - स्पेसीफिकेशन की सहायता लें । यदि आपके ब्राउज़र में एसएसएल सुविधा है (यानि नेटस्केप 4.0 तथा अधिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 व अधिक) तो आपका लेन-देन स्वतः सुरक्षित रहेगा । इंटरनेट में सुरक्षित साइट को दर्शाने के लिए ब्राउज़र के नीचे बंद ताले (के चिह्न) को प्रयोग किया जाता है । जब तक ताला बन्द दर्शाया जाता है, आपकी सूचना सुरक्षित है तथा उसका दुरूपयोग रोकने हेतु उसे एन्क्रिप्ट किया गया है । यदि आप सुरक्षित ट्रांज़ेक्शन लिंक पर क्लिक करते हैं तथा फिर भी बंद ताला नहीं दिखाई देता तो हो सकता है कि विंडो किसी और फ्रेम में है । आपका कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं (इंटरनेट एक्सप्लोरर में) इसकी जांच करने के लिए माउस में दायें बटन व प्रापर्टीज़ व सर्टिफिकेटस पर क्लिक करें । तब आप देख पाएंगे कि कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं । अन्य तरीका है (नेट स्केप में) माउस में दायें बटन पर क्लिक करें व 'व्यू फ्रेम इन्फो' में फ्रेम सूचना देखें व टेक्स्ट के नीचे आप सुरक्षा सूचना देखेंगे ।

आपका क्रेडिट कार्ड विवरण पीसीआई सुरक्षा मार्ग-निर्देशों के तहत भुगतान गेटवे को भेजा जाता है ।

8. आवश्यक दस्तावेज़

अपने सभी दस्तावेज़ों, जिसमें वैध पासपोर्ट, वीज़ा (यदि आवश्यक हो) सम्मिलित है, सही हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल आपकी ही है । आपके दस्तावेज़ों के अधूरे या समुचित न होने पर, होने वाली किसी क्षति के लिए एअर इंडिया लि0 जिम्मेदार नहीं होगी ।

यात्री को संबंधित देशों के विधि, विनियमों, आदेशों के तहत मांगे जाने पर या आवश्यक होने पर सभी एग्ज़िट, प्रवेश स्वास्थ्य और अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे । लागू नियमों, विनियमों, आदेशों, मांग या आवश्यक होने पर जिन यात्रियों के दस्तावेज़ समुचित नहीं है या जो एयरलाइन को प्रतियां लेने व रखने की अनुमति नहीं देते, ऐसे यात्रियों का वहन करने या न करने का अधिकार एयरलाइन के पास सुरक्षित है ।

यदि आपके पास यात्रा हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज़ नहीं है या फिर इनमें से कोई दस्तावेज़ वैध नहीं है या फिर जिन देशों में यात्रा के दौरान एग्ज़िट करना है, प्रवेश करना है या ट्रांसफर करना है, उन

देशों के नियमों, विनियमों, आदेशों या अन्य आवश्यकताओं का यदि आपने पालन नहीं किया तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ।

9. एयरपोर्ट कर, प्रभार और शुल्क

टिकट बनाते समय सभी कर, प्रभार व शुल्क लिए जाएंगे । कुछ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट प्रस्थान कर, प्रभार व शुल्क लेते हैं जो यात्रियों द्वारा स्थानीय तौर पर अदा किया जाता है । इन प्रभारों की सूचना हमारे उल्लेखित किरायों में नहीं होती ।

10. वहन की शर्तें

वायुमार्ग द्वारा यात्रियों व सामान का वहन संबंधित वाहक की वहन शर्तों पर निर्भर है । कृपया यात्री व सामान हैंडलिंग हेतु "एअर इंडिया लि0 वहन की सामान्य शर्तें" पढ़ें जो यात्री व सामान के वहन के सभी पक्षों/शर्तों से संबंधित होता है ।

11. शर्तों में संशोधन

बिना किसी सूचना या देयता के एअर इंडिया लि0 इन शर्तों व निबंधनों में परिवर्तन कर सकती है । इन शर्तों व निबंधन की नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी आपकी है । ऐसे किसी परिवर्तन के पश्चात् यदि आप एअर इंडिया लि0 की ऑनलाइन बुकिंग का प्रयोग जारी रखते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आपने ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया ।

12. गोपनीयता विवरण

12.1. सूचना एकत्रीकरण व प्रयोग

एअर इंडिया लि0 रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी ऑनलाइन सेवा के प्रयोग के लिए यूज़र की सहमति के बिना किसी भी सूचना को एअर इंडिया लि0 समूह के अलावा अन्य किसी को न बेचेगी, न ट्रेड करेगी और न ही बताएगी । (यूज़र को या अन्य को शारीरिक नुकसान या विधि द्वारा आवश्यक होने के अलावा) । जब एअर इंडिया लि0 अपनी ओर से कार्य करने के लिए या संयुक्त उन्नयन के भाग के रूप में अन्य एजेटों, कांट्रैक्टरों या निगमों का प्रयोग करती है, उस स्थिति में एअर इंडिया यह सुनिश्चित करेगी कि वह एन्टिटी यूज़र की व्यक्तिगत सूचना की पूर्ण सुरक्षा रखे । यदि आप हमारे द्वारा मांगी

गई कुछ व्यक्तिगत सूचना हमें नहीं देगें तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट तो कर सकेंगे परन्तु कुछ विकल्प या सेवाएं एक्सेस नहीं कर पाएंगे ।

12.2 रजिट्रेशन, विशेष ऑफर व प्रतियोगिताएं

पंजीकृत यूज़र समय-समय पर एअर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पाद, सेवाओं और विशेष योजनाओं संबंधी सूचना प्राप्त करेंगे । अपने यूज़र की निजता का मान करते हुए हम उन्हें इसका विकल्प देते हैं कि वे चाहें तो इस प्रकार की सूचनाओं को मना कर सकते हैं (कृपया नीचे दिए गए च्वॉइस/ऑप्ट-आउट शीर्ष को देखें) समय-समय पर हमारी वेबसाइट पर प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं । इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता पूर्णतः स्वैच्छिक है और यूज़र अपनी व्यक्तिगत सूचना देने या न देने के लिए स्वतंत्र है । मांगी गई सूचना में संपर्क सूचना (नाम, डाक पता इत्यादि) व आयु संबंधी सूचना (जैसे उम्र) संपर्क सूचना का प्रयोग विजेताओं व पुरस्कारों की घोषणा के लिए किया जाएगा ।

12.3 कुकीज़

हमारी वेबसाइट 'कुकीज़' का प्रयोग कर सकती है ताकि जब आप वेबसाइट पर वापिस आएं तो एअर इंडिया ग्राहकोन्मुख सूचना के साथ आपको बेहतर सेवाएं दे सके । कुकीज़ वेबसाइट द्वारा भेजे गए आइडेन्टीफायर्स हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर पर भेज सकती है जिससे यूज़र जब भी अगली बार वेबसाइट पर आए तो उन्हें सुविधा रहे । आप अपने ब्राउज़र को इस प्रकार सेट कर सकते हैं कि कुकी आने पर वह आपको सूचित करे साथ ही उसे स्वीकारने व अस्वीकारने का विकल्प भी दे ।

12.4 लिंक्स

हमारी वेबसाइट में अन्य वेबसाइट के लिंक भी हो सकते हैं । कृपया ध्यान रहे कि एअर इंडिया लि0 या एअर इंडिया लि0 समूह की इकाई द्वारा प्रचालित नहीं की जाने वाली वेबसाइट की प्राइवेसी प्रक्रियाओं के लिए एअर इंडिया लि0 जिम्मेदार नहीं है । हम अपने यूज़र को उस प्रत्येक वेबसाइट की प्राइवेसी स्टेटमेंट्स को पढ़ने की सलाह देते हैं जो उनसे व्यक्तिगत पहचान सूचना मांगती हैं । यह प्राइवेसी स्टेटमेंट केवल हमारी वेबसाइट द्वारा एकत्रित की गई सूचना पर लागू है । एअर इंडिया लि0 केवल सुविधा हेतु ये लिंक उपलब्ध करवाती है इन्हें पृष्ठांकित नहीं करती । एअर इंडिया लि0 विवेकानुसार किसी

भी कारण से, जो वह उचित समझे, किसी भी समय किसी भी लिंक को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।

12.5 परिवर्तनों की अधिसूचना

यदि हम अपनी प्राइवेसी नीति में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लेंगे, उस स्थिति में हम ऐसे सभी परिवर्तनों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे । ताकि हमारे यूज़र को इस बात की जानकारी रहे कि हम कौन सी सूचना एकत्र करते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं और किन परिस्थितियों में, यदि कोई हों, उसे प्रकट करते हैं । यदि किसी समय हम आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई व्यक्तिगत पहचान सूचना का उपयोग, इसके संकलन के समय बताए गए प्रकार से इतर करने का निर्णय लेते हैं तो इस संबंध में यूज़र को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा । यूज़र को यह चयन का अधिकार होगा कि हम उनकी सूचना को भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाए या नहीं । जिस प्राइवेसी नीति के तहत सूचना एकत्र की गई थी, हम सूचना का प्रयोग उसी के अनुसार करेंगे ।

13. देयता सीमित करने हेतू अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सलाह

ऐसे यात्री जिनकी यात्रा का अंतिम गंतव्य या स्टॉप यात्रा आरम्भ करने वाले मूल देश से भिन्न हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनकी पूरी यात्रा पर वारसा कनवेंशन संधि 1929, या हेग प्रोटोकॉल 1955 या मॉन्ट्रियल कनवेंशन, 1999 लागू हो सकता है चाहे यात्रा का कुछ भाग पूर्णरूप से मूल देश में या गंतव्य देश में सम्मिलित हो । यूएसए जाने वाले या यूएसए से आने वाले या यूएस में आपसी सहमति से तय स्थान के यात्रियों हेतु, लागू किरायों में दिए गए वहन के विशेष समझौते व कनवेंशन के अनुसार यात्री की मृत्यु व उन्हें चोट लगने की स्थिति में इस प्रकार के विशेष करार में वाहक पार्टियों की देयता अधिकांश मामलों में जिसमें नुकसान निश्चित हो गया है, 75,000 यूएस डॉलर प्रतियात्री से अधिक नहीं होगी तथा इस सीमा तक यह देयता वाहक की असावधानी पर निर्भर नहीं है । जिन वाहकों ने यह विशेष करार किया है उनके नाम ऐसे वाहकों के सभी टिकट कार्यालयों में उपलब्ध है तथा अनुरोध पर इन्हें देखा जा सकता है । निजी कम्पनी से बीमा करवाकर अतिरिक्त सुरक्षा ली जा सकती है । वारसा सन्धि 1929, हेग प्रोटोकॉल 1955 या मॉन्ट्रियल कनवेंशन 1999 या वहन के ऐसे विशेष करार के तहत वाहक की देयता की सीमा का इस बीमा पर कोई प्रभाव नहीं होता । अधिक जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें ।

नोट: उपरोक्त 75,000 यू.एस.डॉलर की देयता सीमा में विधिक फीस तथा लागतें शामिल हैं । यदि दावा ऐसे स्टेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जहां विधिक फीस तथा लागतों के लिए अलग से प्रावधान किया गया हो वहां विधिक फीस व लागतों के अलावा सीमा 58,000 यू.एस.डॉलर होगी ।

14. एअर इंडिया से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दायित्व सीमाओं संबंधी सूचना

यदि किसी भी अंतरराष्ट्रीय वहन के दौरान, वास्तविक वाहक के रूप में एअर इंडिया किसी भी यात्री की मृत्यु, जख्मी होने या अन्य शारीरिक चोट की उत्तरदायी होती है तो मृत्यु, जख्मी होने या अन्य शारीरिक चोट की प्रमाणित क्षति के लिए एअर इंडिया की दायित्व सीमा एअर इंडिया लिमिटेड के यात्री तथा सामान - अनुबंध की सामान्य शर्तों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 1,00,000 एसडीआर तक होगी ।

15. सामान दायित्व सीमाओं संबंधी नोटिस

सामान के खोने, विलंब या फिर सामान को क्षति के संबंध में एअर इंडिया का दायित्व एअर इंडिया लिमिटेड के यात्री तथा सामान - अनुबंध की सामान्य शर्तों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 1131 विशेष आहरण अधिकारों तक सीमित होगा । नाज़ुक तथा नाशवान मदों के लिए वाहक की कोई देयता नहीं होगी । इस संबंध में और अधिक जानकारी वाहक से प्राप्त की जा सकती है ।

16. सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों तथा शुल्कों के संबंध में नोटिस

आपकी टिकट के मूल्य में सरकारी प्राधिकरण द्वारा वायु परिवहन के लिए लगाए गए कर तथा शुल्क सम्मिलित हो सकते हैं । यह कर तथा शुल्क जो हवाई यात्रा लागत का एक महत्तवपूर्ण भाग होते हैं, को इस टिकट पर अलग से 'टैक्स' खाने (खानों) में दिखाया जाता है । आपसे ऐसे कर या शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है जो आपसे पहले नहीं लिए गए ।

17. अनुबंध की शर्तें

जैसाकि इस अनुबंध में प्रयोग किया गया है 'टिकट' का अर्थ है यात्री टिकट और सामान चैक या इलेक्ट्रानिक टिकट के मामले में, यदि लागू हो, तो यात्राक्रम/रसीद जिसका

हिस्सा यह शर्तें तथा नोटिस हैं । ‘वहन’ ‘परिवहन’ के समान है । ‘वाहक’ का अर्थ है सभी हवाई वाहक जो यात्री या उनके सामान का वहन करते हैं या फिर हवाई वहन के लिए कोई अन्य अनुषंगिक सेवाएं निष्पादित करते हैं । ‘इलेक्ट्रानिक’ टिकट का अर्थ है वाहक या उसकी ओर से जारी की गई यात्राक्रम/रसीद, इलेक्ट्रिानिक कूपन या यदि लागू हो तो बोर्डिंग दस्तावेज़ । ‘वारसॉ कनवेंशन’ का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय हवाई वहन से संबंधित विशेष नियमों के एकीकरण के लिए कनवेंशन जिस पर वारसॉ में दिनांक 12 अक्तूबर, 1929 को हस्ताक्षर किए गए या संशोधन के लिए दिनांक 28 सितम्बर, 1955 को हॉग में आयोजित कनवेंशन, या अंतरराष्ट्रीय हवाई वहन से संबंधित विशेष नियमों के एकीकरण के लिए मॉन्ट्रियल में आयोजित कनवेंशन जिन पर दिनांक 28 मई, 1999 को हस्ताक्षर किए गए, जो भी लागू हो ।

1. यहां ‘वहन’ वारसॉ कनवेंशन, 1929 या हॉग प्रोटोकॉल, 1955 या मॉन्ट्रीयल कनवेंशन, 1999 के अंतर्गत स्थापित दायित्व से संबंधित नियमों व सीमाओं के अंतर्गत होगा । जब तक इस प्रकार का वहन उस कनवेंशन में परिभाषित ‘अंतरराष्ट्रीय वहन’ न हो ।

2. प्रत्येक वाहक द्वारा निष्पादित उपर्युक्त वहन एवं अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी: (i) इस टिकट के प्रावधान (ii) लागू किराया (iii) वहन के लिए वाहक की शर्तें तथा संबंधित विनियम जो इसके भाग हैं (तथा वाहक के कार्यालयों में आवेदन करने पर उपलब्ध हैं) सिवाय अमेरिका या कनाडा के किसी स्थान के बीच का परिवहन और उसके बाहर का कोई अन्य स्थान जिसके लिए उन देशों में प्रभारित किराया लागू होता है ।

3. टिकट पर वाहक का नाम संक्षिप्त हो सकता है, पूरा नाम तथा उसका संक्षिप्त रूप वाहक के किरायों, वहन की शर्तों, विनियमों या समय सारणी में दिया गया होगा । वाहक का पता टिकट पर वाहक के संक्षिप्त नाम के सामने दिया गया प्रस्थान एयरपोर्ट होगा; रुकने के सहमत स्थान वे स्थान है जो टिकट में दिए गए हों या फिर वाहक की समय सारिणी में यात्री के मार्ग में रुकने के अनुसूचित स्थानों के रूप में दिखाए गए हों; कई क्रमिक वाहकों द्वारा निष्पादित वहन को एकल प्रचालन माना जाएगा ।

4. एक हवाई वाहक जो दूसरे हवाई वाहक के अनुसरण में वहन के टिकट जारी करता है वह यह उसके एजेंट के रूप में करता है ।

5. वाहक के दायित्व में किसी प्रकार का अपवर्जन या सीमाकंन उस वाहक के एजेंटों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों तथा वाहक द्वारा वहन के लिए जिस किसी भी व्यक्ति के विमान का प्रयोग किया जा रहा है तथा उसके एजेंटों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों पर लागू होगा तथा उनके फायदे के लिए होगा ।

6. जांच किया गया सामान सामान-चैक धारक को सौंपा जाएगा । अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए भेजे गए सामान पर क्षति के मामले में शिकायत क्षति का पता लगने के बाद सामान प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर लिखित रूप से वाहक को की जानी चाहिए; सामान प्राप्ति में विलंब के मामले में जब सामान डिलीवर किया गया उसके 21 दिन के भीतर शिकायत की जानी चाहिए । गैर अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए किराए या वहन की शर्तें भी देखें ।

7. यह टिकट जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक वहन के लिए वैध है, बशर्ते कि इस टिकट, वाहक के किरायों, वहन की शर्तों या संबंधित विनियमों में कुछ और न दिया गया हो । वहन के किराए में वहन प्रारंभ होने से पहले परिवर्तन किया जा सकता है । यदि लागू किराए का भुगतान नहीं किया गया हो तो वाहक वहन के लिए मना कर सकता है ।

8. वाहक यात्रियों तथा सामान के वहन के लिए अपनी ओर से समुचित प्रयास का वचन देता है । समय सारिणी तथा अन्य स्थानों पर दिए गए समय की गारंटी नहीं दी जा सकती तथा वह इस अनुबंध का हिस्सा नहीं है । वाहक बिना कोई नोटिस दिए कोई अन्य वाहक या विमान बदल सकता है तथा आवश्यक होने पर टिकट में दिखाए गए रूकने के स्थान को बदल या हटा सकता है । समयावली में बिना कोई नोटिस दिए परिवर्तन किया जा सकता है । वाहक संपर्क बनाने के लिए कोई दायित्व नहीं लेता ।

9. यात्री को सरकार की यात्रा आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, एयरपोर्ट में प्रवेश करने तथा बाहर जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाने होगें तथा वाहक द्वारा निश्चित समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा या, यदि कोई समय निश्चित नहीं किया गया तो एयरपोर्ट पर इतनी जल्दी अवश्य पहुंचना होगा कि प्रस्थान प्रक्रिया पूरी किए जाने के लिए समुचित समय हो ।

10. वाहक के किसी एजेंट, कर्मचारी या प्रतिनिधि के पास इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान को बदलने, संशोधित करने या फिर हटाने का अधिकार नहीं है ।

11. प्रयोग न किए गए कूपनों को उनकी वैधता तिथि के बाद एक वर्ष के भीतर वापस करने पर किराया शर्तों के अनुसरण में धन वापसी की जाएगी ।

वाहक जिसका नाम यात्री टिकट या सामान चैक पर "जारीकर्त्ता' भाग में लिखा गया हो उसके द्वारा जारी किराया विनियमों के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसने लागू नियमों या वाहक के किरायों, नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हुए टिकट प्राप्त किया हो, को वहन के लिए इंकार करने का अधिकार वाहक के पास है ।

18. सामान में खतरनाक वस्तुएं

सुरक्षा कारणों से नीचे सूचीबद्ध की गई खतरनाक वस्तुएं यात्री सामान में नहीं ले जाई जा सकती :

- कम्प्रैस्ड गैस - (गहन रेफ्रिज़रेटिड, अग्निशील, गैर अग्निशील तथा जहरीली) जैसे बुटेन, ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन, एक्वालंग सिलिन्डर्स
- संक्षारक जैसे एसिड, क्षार, पारा तथा वेट सैल बैटरी
- विस्फोटक, युद्ध सामग्री, आतिशबाजी तथा पिस्तौल
- अग्निशील तरल तथा ठोस जैसे लाइटर फ्यूल, माचिस, पेंट, थिनर, फायरलाइटर्स
- रेडियोएक्टिव सामग्री
- अलार्म यंत्र लगाए गए ब्रीफकेस तथा अटैचीकेस
- ऑक्सीडाइज़िंग सामग्री जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पेरोऑक्साइड
- जहर तथा संक्रामक पदार्थ जैसे कीटनाशक, अपतृण-नाशी तथा जीवित वायरस सामग्री
- अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चुंबकीय सामग्री, अप्रिय या उत्तेजक पदार्थ

सीमित मात्रा में दवाईयां तथा प्रसाधन सामग्री जो यात्रा के दौरान यात्री के लिए आवश्यक या उपयुक्त हैं जैसे हेयरस्प्रे, परफ्यूम, ऐसी दवाइयां जिनमें एल्कोहल हो, ले जाई जा सकती हैं । इनमें से कई वस्तुएं एयर कार्गो के रूप में जाई जा सकती हैं बशर्ते उन्हें कार्गो विनियमों के अनुसार पैक किया गया हो ।

अनुरोध करने पर और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

19. चैक-इन समय

एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए स्वीकार किए जाने से पहले तथा उसके बाद एयरपोर्ट पर यात्री द्वारा कुछ विशेष सरकारी औपचारिकताएं तथा प्रस्थान प्रक्रियाएं पूरी की जानी आवश्यक होती हैं । इन औपचारिकताओं तथा चैक-इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए यात्री को उड़ान प्रस्थान से पर्याप्त समय पहले वाहक के चैक-इन स्थान तथा बोर्डिंग गेट पर पहुंचना आवश्यक होता है । प्रत्येक उड़ान का उपयुक्त चैक-इन समय टिकट पर छपा हुआ होता है तथापि इस संबंध में एयरलाइन के बुकिंग व एयरपोर्ट कार्यालय से अग्रिम जानकारी भी ली जा सकती है । उड़ान कूपन पर दिया गया समय विमान का प्रस्थान समय है । चैक-इन के लिए देर से आने वाले यात्रियों के लिए उड़ान में विलंब नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के मामलों में एअर इंडिया द्वारा कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता तथा यदि आप चैक-इन समय सीमा का अनुपालन नहीं करते या चैक-इन काउंटरों के बंद होने से पहले चैक-इन करने में असफल रहते हैं तो हमें आपका आरक्षण रद्द करने का अधिकार है ।

20. केबिन सामान

केवल एक केबिन सामान जिसका कुल परिमाप 115 से.मी. (45 इंच) से अधिक न हो उड़ान में ले जाया जा सकता है, बशर्ते उसे सीट के नीचे रखा जा सके । अधिक और आकार में बड़े हैंड बैगेज को बोर्डिंग गेट पर ले लिया जाएगा तथा उस पर अतिरिक्त सामान प्रभार प्रभारित किया जाएगा । सुरक्षा कारणों से छोटे कैमरों को छोड़कर बैटरी सेल केबिन सामान के रूप में अनुमत नहीं है चाहे वे उन इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हिस्सा हों जो हैंड बैगेज के रूप में ले जाया जा रहा हो ।

21. ऐसे यात्री जिनका वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं है, के लिए अनुबंध की शर्तें

इसके अंतर्गत वहन एअर इंडिया की "वहन संबंधी सामान्य शर्तों" के अधीन है तथा इस संबंध में आवश्यक विनियम अनुरोध करने पर जांच के लिए एअर इंडिया के कार्यालयों में उपलब्ध हैं ।

22. ऐसे यात्रियों के लिए सलाह, जिनका वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं है

1. इसके अंतर्गत वहन जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है भारतीय विमान वहन अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दायित्वों से संबंधित नियमों तथा सीमाओं के अधीन है ।

2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1989 को जारी अधिसूचना संख्या एसओ 659(ई) के अनुसार दायित्व निम्नानुसार होगा:

किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट या घाव जिसके कारण यात्री स्थायी तौर पर अशक्त होकर अपनी सामान्य ड्यूटी या व्यवसाय या नौकरी करने में असमर्थ हो जाए, तो वास्तविक वाहक के रूप में एअर इंडिया का दायित्व दुर्घटना की तिथि को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों की स्थिति में प्रत्येक यात्री 7,50,000/- रुपए होगा । 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक यात्री के लिए 3,75,000/-रुपए होगा ।

23. ऐसे यात्री जिनका वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं है, के संबंध में सामान दायित्व सीमा का नोटिस

सामान के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर दायित्वों की सीमा इस प्रकार है:-

(क) यात्री द्वारा चैक-इन किए गए सामान पर प्रति किलो 450/-रुपए ।
(ख) ऐसे सामान जिनका चार्ज यात्री द्वारा स्वयं लिया जाता, के संबंध में 4000/-रुपए ।

24. विलंब के लिए गैर - दायित्व

यात्रियों के वायु वहन में विलंब की स्थिति में 4150 विशेष आहरण अधिकार (एअर इंडिया लि0 - अनुबंध के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत निर्धारित) वाहक का क्षति के लिए दायित्व होगा । परंतु यदि वाहक यह सिद्ध करता है कि उसके कर्मचारियों तथा एजेंटों ने विलंब को रोकने के पर्याप्त उपाय किए या उनके लिए ऐसे उपाय करना असंभव था तो वाहक को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी । वाहक यात्री तथा उसके सामान का वहन करने के लिए समुचित प्रयास करने हेतु वचनबद्ध है । टिकट, समयावली तथा अन्य कहीं दिखाए गए समय की गारंटी नहीं दी जा सकती तथा यह वहन के अनुबंध का हिस्सा नहीं है तथा वाहक संपर्क की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता । कभी-कभी प्रस्थान समय और गन्तव्य के लिए विमान के उड़ान भरने में लिया गया समय हमारे नियन्त्रण से बाहर के कारणों से होता है (उदाहरणार्थ खराब मौसम या हवाई यातायात नियंत्रण विलम्ब या हड़ताल) । वाहक आप और आपके सामान के वहन में विलम्ब से बचने के लिए सभी युक्तिसंगत आवश्यक उपाय करेगा किन्तु यात्री के प्रति उसका कोई और दायित्व नहीं होगा ।